FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0144 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/07/2024 21:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 16/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:43 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/07/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/07/2024 21:19:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 01 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** MPS RESTORENT, 100 FEET ROAD RAJSAMAND

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

[redacted]

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KISHAN LAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHNWAR LAL MALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1972 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SONIYANA, RAJSAMAND, KANKROLI, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SONIYANA, RAJSAMAND, KANKROLI, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BALRAM PATEEDAR		पिता:RAJESH PATEEDAR	1. MASJID KE PASS,MUKAM POST PANMODI,PRATAPGARH,RATHANJANA,PRATAPGARH,RAJASTHAN,INDIA
2	ASHOK KUMAR BHOI		पिता:NANULAL	1. SADAR BAZAR BHOIWARA,KHERWARA,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA
3	LOKESH KUMAR MEENA		पिता:MANEELAL MEENA	1. POST SHKTAWATO KA GUDA,BHORAI GHATA, SEMARI,सलूम्बर,RAJASTHAN, INDIA

[redacted]

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी श्री किशन लाल पुत्र श्री भंवर लाल, जाति-माली, उम्र 52 साल, निवासी सोनियाणा, पुलिस थाना कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द व परिवादी का मित्र श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल जी शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 10, कस्बा गंगापुर, तहसील व पुलिस थाना गंगापुर, जिला भीलवाडा ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये और परिवादी श्री किशनलाल ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया की कि "मैं, प्रार्थी कीशन लाल पुत्र श्री भंवर जी माली निवासी सोनियाणा, पुलिस थाना कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द का मूल निवासी हुं। मेरे लकडी का व्यापार है। मैं लकडी राजसमन्द से जोधपुर व गुजरात भिजवाता हुं। मैने दिनांक 10.07.2024 को मेरी स्वयं की ट्रक जिसके नम्बर आरजे 27 जीबी 5872 हैं जिसमें लकडी भरकर राजसमन्द से गुजारीया (गुजरात) के लिए रवाना की थी जिसका ड्राईवर किशन लाल था। जिस पर मेरे ड्राईवर श्री किशनलाल ने फोन कर मुझे बताया कि आपकी लकडी से भरी गाडी को बिच्छीवाडा (डूंगरपुर) के पास वन विभाग डूंगरपुर के श्री लोकेश जी रेन्जर साहब व श्री नारायण सिंह जी रेन्जर साहब एवं श्री अशोक वनपाल ने रोक कर गाडी को एक तरफ साईड में खडी करवाकर आपकी गाडी के दस्तावेज व गाडी की चाबी मुझसे लेकर आपकी लकडी से भरी गाडी (ट्रक) को छोडने की एवज में वन विभाग के लोकेश जी रेन्जर साहब ने रिश्वत राषि 45,000/- पैतालिस हजार रूपये की मांग की है तथा कहा की तेरे गाडी (ट्रक) मालिक को बोल देना की जब तक 45,000/- रूपये नहीं देगा तब तक गाडी के कागजात एवं गाडी नही छोडुंगा, और इस रूट पर लकडी की गाड़ी चलानी हो तो मासिक बन्दी तो देनी पडेंगी नहीं दोगे तो गाड़ी बार-बार पकड़ेगे। मेरी गाडी (ट्रक) के ड्राईवर श्री किशनलाल से हुई वार्ताअनुसार मैं श्री लोकेश जी रेंजर साहब को मेरी लकडी से भरी गाडी (ट्रक) को छोडने की एवज में रिश्वत राषि 45,000 रूपये एवं मासिक बन्दी नहीं देना चाहता हु और उन्हे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे व श्री लोकेश जी रेजर साहब के बीच कोई पुरानी लेन-देन बाकि नहीं हैं और ना ही कोई आपसी रंजिश हैं। मेरा मित्र श्री राजकुमार पुत्र श्री मदन शर्मा निवासी गंगापुर पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा भी लकडी का ही व्यापार करता है तथा वन विभाग से संबंधित मेरा सारा काम मेरा मित्र श्री राजकुमार शर्मा ही करता है। मैं कम पढा-लिखा हुं इसलिए मैनें यह प्रार्थना-पत्र मेरे मित्र श्री राजकुमार शर्मा से मेरे कहे अनुसार लिखवाई है और वन विभाग डूंगरपुर के कर्मचारी से बातचीत करने के दौरान मेरा मित्र श्री राजकुमार शर्मा इस पुरी कार्यावाही में मेरे साथ उपस्थित रहेगा। रिपोर्ट करता हुं कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी व उसके मित्र श्री राजकुमार शर्मा ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री लोकेश जी रेंजर साहब बहुत शातिर व चालाक हैं जो मांग सत्यापन हेतु हम दोनों मे से किसी एक से या हम दोनों से ही वार्ता कर सकते है और वार्ता के तुरन्त बाद रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक को जरिए दूरभाष परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर विस्तृत हालात बताये। तत्पश्चात समय 03.00 पी.एम. पर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक से जरिए दूरभाष हुई वार्ता के क्रम में ब्यूरो कार्यालय के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर-2 रिक्त मेमोरी कार्ड-2 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मय परिवादी के प्रार्थना पत्र व अब तक की कार्यवाही के रनिंग नोट के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं रनिंग नोट मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि समय 2.00 पीएम पर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार कानि0 श्री प्रदीप सिंह नम्बर 162 परिवादी श्री किशनलाल व परिवादी के मित्र श्री

राजकुमार शर्मा के साथ परिवादी के निजी वाहन से तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार श्री दिनेश चन्द्र ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्रीमती सीता नम्बर 233 व हैड कानि भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन मय चालक के तथा कानि श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 श्री भंवरदान कानि. नम्बर 414 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के राजसमन्द से रवाना हो उदयपुर स्थित अम्बेरी पुलिया के पास श्रीमान के समक्ष उपस्थित हुए। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी का प्रार्थना पत्र व अब तक की कार्यवाही के रनिंग नोट का अवलोकन कर अग्रिम गोपनीय कार्यवाही के क्रम में उपस्थित परिवादी श्री किशन लाल पुत्र श्री भंवर लाल, जाति-माली उम्र 52 साल, निवासी सोनियाणा पुलिस थाना कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द में श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक साहब को प्रस्तुत रिपोर्ट पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मेरी लकडी से भरी ट्रक जो कि वन विभाग डूंगरपुर के श्री लोकश जी रेंजर साहब व श्री नारायण सिंह जी रेंजर साहब ने दिनांक 10.07.2024 को बिछीवाडा के पास डूंगरपुर की तरफ जाने वाले आम रास्ते के रोड के किनारे एकान्त स्थान पर खडी करवा दी हैं और श्री लोकेश जी रेजर साहब मेरी लकडी से भरी ट्रक को छोडने की एवज में रिश्वत राशि 45,000 रूपये की मांग कर रहे हैं और बिछीवाडा रूट पर लकडी की गाड़ी चलाने की एवज में मासिक बन्दी मांग रहे है। मैं मेरी लकडी से भरी गाडी (ट्रक) को छुडवाने की एवज में श्री लोकेश जी रेन्जर साहब को रिश्वत राशि 45,000 रूपये एवं मासिक बन्दी नहीं देना चाहता हु। परिवादी श्री किशनलाल के साथ आये व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल जी शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 10 कस्बा गंगापुर तहसील व पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा होना बताया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री किशन लाल द्वारा प्रस्तुत उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पूछा तो श्री राजकुमार शर्मा ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व मेरा मित्र श्री किशनलाल लकडी का व्यापार करते हैं। मेरा मित्र कम पढा लिखा हैं इसलिए मैने मेरे मित्र श्री किशनलाल के कहे अनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र मैने स्वयं लिखा हैं। वन विभाग डूंगरपुर के सभी अधिकारी/कर्मचारी मेरे परिचित हैं और मुझ पर विश्वास भी करते हैं। मेरे मित्र श्री किशनलाल के कहे अनुसार मैं अपनी पूर्ण सहमति से उक्त कार्यवाही में मेरे मित्र श्री किशनलाल के साथ उपस्थित रहुंगा। उपस्थित शुदा परिवादी व सपरिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री लोकेश जी रेंजर साहब एक भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत राशि लिये किसी का भी काम नहीं करते हैं। इस पर परिवादी श्री किशनलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर श्री राजकुमार शर्मा के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मंठी आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी। मन् निरीक्षक ने उपस्थित गवाहान को अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो अपना श्री सुनील कुमार कनिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय राजसमन्द एवं श्री दिनेश चन्द्र पटवारी तहसील कार्यालय राजसमन्द होना बताया। दोनों गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने गोपनीय कार्यवाही बाबत् आवश्यक जानकारी दी और उपस्थित षुदा परिवादी श्री किषनलाल व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा आज दिनांक 12.07.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी/सपरिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री किशनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री लोकेश जी रेंजर साहब बहुत शातिर व चालाक हैं जो मांग सत्यापन हेतु हम दोनों मे से किसी एक से या हम दोनों से ही वार्ता कर सकते है और वार्ता के तुरन्त बाद रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। इस पर ब्यूरो कार्यालय के हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 से उनके पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड-2 मय रिक्त मेमोरी कार्ड-2 को श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 से प्राप्त कर परिवादी/सपरिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री लोकेश रेजर से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये तथा दोनों डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण से सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात समय 03.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि0 श्री प्रदीप सिंह नम्बर 162 को परिवादी श्री किशनलाल व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के साथ परिवादी की निजी कार से तथा ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के साथ श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233 श्री भवंरदान कानि0 नम्बर 414 श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन मय चालक के कस्बा डूंगरपुर में रेलवे स्टेशन के पास किसी एकान्त स्थान पर रोड किनारे रूकने की आवश्यक हिदायत कर कस्बा डूंगरपुर के लिए रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार, श्री दिनेश चन्द्र, ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 मय लेपटोप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के अम्बेरी पुलिया उदयपुर से कस्बा डूंगरपुर के

लिए रवानाशुदा समय 04.50 पी.एम. पर कस्बा डूंगरपुर स्थित रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करायी गयी जिसमें (1) सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर एवं संदिग्ध श्री लोकेश रेंजर वन विभाग डुंगरपुर के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता-1 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (प्रथम) में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई, (2) समय करीब 05.02 पी. एम. पर परिवादी श्री किशनलाल व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा एवं संदिग्ध श्री लोकेश रेंजर वन विभाग डुंगरपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी रूबरू वार्ता-प्रथम जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (प्रथम) में रिकॉर्ड की गई, (3) समय करीब 06.00 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनलाल व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा एवं संदिग्ध श्री लोकेश रेंजर वन विभाग डुंगरपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी रूबरू वार्ता-द्वितीय जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (प्रथम) में रिकॉर्ड की गई, (4) समय करीब 08.34 पी.एम. पर सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर एवं संदिग्ध श्री बलराम रेंजर वन विभाग राजसमन्द के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता-2 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (प्रथम) में रिकॉर्ड की गई, (5) समय करीब 08.39 पी.एम. पर सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर एवं संदिग्ध श्री लोकेश रेंजर वन विभाग डुगरपुर के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता-3 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (द्वितीय) में रिकॉर्ड की गई (6) परिवादी सपरिवादी एवं अन्य व्यक्तियों के मध्य हुई रूबरू वार्ता एवं समय करीब 09.03 पी.एम. पर सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर 7 एवं संदिग्ध श्री बलराम रेंजर वन विभाग राजसमन्द के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बन्धी व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता/रूबरू वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (द्वितीय) में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई (7) समय करीब 09.31 पी.एम. पर सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर एवं संदिग्ध श्री बलराम रेंजर वन विभाग राजसमन्द के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता-4 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (द्वितीय) में रिकॉर्ड की गई, (8) समय करीब 09.39 पी.एम. पर सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर एवं संदिग्ध श्री बलराम रेंजर वन विभाग राजसमन्द के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता-5 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (द्वितीय) में रिकॉर्ड की गई (9) समय करीब 09.44 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनलाल के मोबाईल नम्बर एवं संदिग्ध श्री बलराम रेंजर वन विभाग राजसमन्द के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता-6 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (द्वितीय) में रिकॉर्ड की गई (10) समय करीब 09.52 पी.एम. पर सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर एवं संदिग्ध श्री बलराम रेंजर वन विभाग राजसमन्द के मोबाईल नम्बर के मध्य हुई मोबाईल व्हाटसएप्प वॉईस कॉलिंग वार्ता-7 जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (द्वितीय) में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त वार्तानुसार श्री लोकेश रेंजर डूंगरपुर श्री किशनलाल की लकडी से भरी ट्रक को छोडने हेतु 21,000 रूपये की रसीद के अलावा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द को बताने की कहने, श्री बलराम पाटीदार रेंजर से व्हाटसएप्प कॉल पर हुई वार्तानुसार श्री बलराम पाटीदार रेंजर ने श्री लोकेश रेंजर के नाम से 21,000 रूपये की रसीद की राशि के अलावा रिश्वत राशि 5,000 रूपये की मांग की गई हैं। श्री लोकेश रेंजर तयशुदा रिश्वत राशि 5,000 रूपये स्वयं प्राप्त नहीं करके श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब के मार्फत ही प्राप्त करेंगे और श्री बलराम पाटीदार रेंजर परिवादी/सपरिवादी से रिश्वत राशि 5,000 रूपये राजसमन्द में ही ग्रहण करेंगे। सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के बताये अनुसार श्री लोकेश रेंजर वन विभाग डूंगरपुर तयषुदा रिश्वत राशि 5,000 रूपये स्वयं ग्रहण नहीं करके श्री बलराम पाटीदार रेंजर वन विभाग राजसमन्द के माध्यम ही ग्रहण करेगा। अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन श्री बलराम पाटीदार रेंजर वन विभाग राजसमन्द द्वारा की जानी हैं। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के डूंगरपुर से रवाना हो राजसमन्द पहुंचे। परिवादीगण व दोनों स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 13.07.2024 को समय 02.00 पी.एम. पर पूर्व पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री दिनेश चन्द्र परिवादी श्री किशनलाल व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी/सपरिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्रथम व द्वितीय को निकलवाकर दिनांक 12.07.2024 को रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं को अलग-अलग डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उपरोक्त वार्ताओं को चलाकर सुनकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषन में अलग-अलग फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्टों पर अलग-अलग सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 15.07.2024 को समय 07.30 ए.एम. पर कानि0 श्री प्रदीप सिंह नम्बर 162 व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा को ब्यूरो कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर द्वितीय मय मेमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से निकलवाकर कानि0 श्री प्रदीप सिंह को

सुपुर्द कर सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के साथ वन विभाग कार्यालय डूंगरपुर जाकर संदिग्ध श्री नारायण सिंह रेंजर साहब व श्री अशोक वनपाल से अग्रिम मांग सत्यापन वार्ता कराने की आवश्यक हिदायत देकर सपरिवादी की निजी कार से कस्बा डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। जो बाद मांग सत्यापन की कार्यवाही के समय 04.00 पी.एम. पर उपस्थित हुए सपरिवादी ने बताया कि मैं वन विभाग कार्यालय के अन्दर जाकर श्री अशोक वनपाल से मिला और मैं व अशोक वनपाल वन विभाग कार्यालय से बाहर आये और मै व अशोक वनपाल मेरी गाडी में बैठकर नया बस स्टेण्ड पर गए जंहा पर नारायण सिंह जी रेंजर साहब मिले। मैं व श्री अशोक वनपाल श्री नारायण सिंह जी की गाडी में बैठे और मेरे मित्र श्री किशनलाल जी की गाडी छोडने हेतु 21,000 रूपये की रसीद काटी और गाडी की चाबी व गाडी के दस्तावेज मुझे दे दिए। इसी दौरान श्री अशोक वनपाल ने श्री लोकेश रेंजर के लिए रसीद राशि के अलावा मुझसे रिश्वत राशि 5,000/- रूपये की मांग की। जो मैंने श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द को देने के लिए कहा। जिस पर श्री अशोक वनपाल अपने मोबाईल से श्री लोकेश रेंजर को फोन कर फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर वार्ता की तो लोकेश रेंजर ने श्री अशोक वनपाल को पैसे लेकर बैग में रखने के लिए कहा और फोन काट दिया तत्समय श्री नारायण सिंह ने मुझे पैसे देकर गाडी चलाने के लिए कहा। इसके बाद मैं व श्री अशोक वनपाल श्री नारायण सिंह जी की गाडी से उतर कर मेरी गाडी में बैठकर मैं और अशोक वनपाल नया बस स्टेण्ड से रवाना हो वन विभाग डूगरपुर कार्यालय की तरफ जाते समय गाडी के अन्दर ही रास्ते में श्री अशोक वनपाल ने बिछीवाडा रूट पर लकडी की गाडी चलाने के लिए दोनों गष्ती दल के प्रति सदस्य 5000 रूपये के हिसाब से कुल 4 सदस्यों (श्री लोकेश रेंजर करण सिंह ड्राईवर नारायण सिंह रेंजर व स्वयं अशोक वनपाल) के लिए रिश्वत राशि 20,000 रूपये बतौर मासिक बन्दी मांग की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो सपरिवादी के बताये कथनों की ताईद हुयी तथा श्री अशोक वनपाल द्वारा परिवादी की गाडी छोडने हेतु रसीद की राशि के अलावा रिश्वत राशि 5,000 रूपये श्री लोकेश रेंजर के लिए मांगना तथा श्री लोकेश रेंजर द्वारा सपरिवादी से 5,000 रूपये रिश्वत राशि अशोक वनपाल को लेने की कहना तथा साथ ही श्री अशोक वनपाल द्वारा बिछीवाडा रूट पर लकडी की गाडी बिना रोकटोक के चलाने हेतु सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा से मासिक बन्दी 20,000 रूपये की मांग करना एवं श्री नारायण सिंह रेंजर की उक्त मामले में भूमिका संदिग्ध होना पाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर (द्वितीय) मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु संभलाया गया तथा उपस्थित सपरिवादी को परिवादी से संपर्क कर रिश्वत राशि 5,000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 16.07.2024 को समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री किशनलाल के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।
दिनांक 16.07.24 को समय 12.15 पीएम पर पूर्व पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल पटवारी तहसील कार्यालय राजसमन्द एवं परिवादी श्री किशनलाल उपस्थित कार्यालय आया तथा परिवादी श्री किशनलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं रिश्वत राशि 5,000 रूपये की व्यवस्था करके उपस्थित हुआ हूं। मेरा मित्र श्री राजकुमार शर्मा के आवश्यक कार्य होने से 6.00 पीएम के बाद ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होगा। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी किशनलाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री किशनलाल ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण जोषी हैड कानि0 117 की उपस्थिति में श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर अखबार पर परिवादी श्री किशनलाल द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री किषनलाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटों को परिवादी श्री किशनलाल के शरीर पर पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉंच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री किशनलाल को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री किशनाराम कानि0 नं. 404 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेष चन्द्र पटवारी, तहसील कार्यालय राजसमन्द के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराया। परिवादी को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा फर्द पेशकशि पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि श्री बलराम पाटीदार को मैं कलालवाटी/किशोर नगर राजनगर से एमपीएस रेस्टोरेंट 100 फीट रोड पर चाय पिलाने ले जाउंगा ओर एमपीएस रेस्टोरेंट में ही वार्ता करूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा

परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर सिपूर्द कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर इस समय परिवादी को उसकी निजी गाडी से श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 को उसकी निजी मोटर साईकिल से श्री भंवरदान कानि. नं. 414 के साथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 उसकी निजी मोटर साईकिल से श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के साथ कलालवाटी/किशोर नगर राजनगर की तरफ रवाना करते हुए पिछे-पिछे मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल मय लेपटोप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के स्वयं की निजी कार से कलालवाटी/किशोर नगर राजनगर की तरफ रवानाशुदा किशोर नगर/कलाल वाटी राजनगर के पास पहुंचकर परिवादी श्री किशनलाल ने अपनी निजी कार को रोड के किनारे साईड में खडा किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरो जाब्ता ने भी अपने-अपने वाहन/मोटरसाईकिल को परिवादी श्री किशनलाल की निजी कार से कुछ ही दुरी पर खडा कर आरोपी श्री बलराम पाटीदार रेंजर के आने व परिवादी के निर्धारित ईशरे के इन्तजार में मुकिम हुए जिसके करीब 30-35 मिनट बाद परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया फोन पर वार्ता समाप्त होने के पष्चात परिवादी श्री किशनलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यगण को अपने पीछे-पीछे आने का ईशारा किया और परिवादी मुकिम स्थल से अपनी निजी कार से रवाना हुआ जिसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के अपने-अपने वाहन/मोटरसाईकिल से रवाना हुए तथा परिवादी ने अपनी निजी कार को कलेक्टर ऑफिस राजसमन्द के गेट के पास रोड के किनारे रोककर खडा किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के निजी वाहन से कुछ ही दूरी पर अपने-अपने वाहन/मोटरसाईकिल को साईड में खडा कर परिवादी के निर्धारित ईशारा के इन्तजार में खडे रहे। जिसके कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति जो सिल्वर रंग का हाफ शर्ट एवं काले रंग की जीन्स पेण्ट पहने हुए व सर पर आर्मी ड्रेस जेसी केप पहनी हुई परिवादी की निजी कार के पास आया और परिवादी की निजी कार में डाईवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा। परिवादी ने अपनी कार में बैठे हुए हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण को अपने पीछे-पीछे आने का ईशारा करते हुए परिवादी श्री किशनलाल अपनी निजी कार से उस व्यक्ति के साथ रवाना हुआ जिसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता अपने-अपने वाहन/मोटरसाईकिल से रवाना हुए। परिवादी उसकी निजी कार से उस व्यक्ति के साथ रवानाषुदा राजनगर स्थित एम.पी.एस. रेस्टोरेन्ट के पास पहुंचकर अपने निजी कार को एम.पी.एस. रेस्टोरेन्ट के पास रोड के किनारे साईड में खडा किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पीछे-पीछे रवानाषुदा एम.पी.एस. रेस्टोरेन्ट के पास परिवादी के वाहन से कुछ ही दूरी पर अपने-अपने वाहन/मोटरसाईकिल को रोड के किनारे साईड में खडा करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारा के इन्तजार में मुकिम हुए। परिवादी व उक्त व्यक्ति कुछ देर परिवादी की निजी कार में बैठने के पष्चात परिवादी एवं उक्त व्यक्ति परिवादी की निजी कार से उतरकर एम.पी.एस. होटल के अन्दर प्रवेश करने से पूर्व समय करीब 02.43 पी.एम. पर परिवादी श्री किशनलाल द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान को आरोपी श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री दिनेश चन्द्र एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के तेज-तेज कदमों से चलकर एम.पी.एस. रेस्टोरेन्ट के अन्दर प्रवेश किया जहां पर परिवादी श्री किशनलाल उपस्थित मिला जिसने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर-द्वितीय मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने अपने पास कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जो सिल्वर रंग का हाफ शर्ट एवं काले रंग की जीन्स पेण्ट पहने हुए व सर पर आर्मी ड्रेस जेसी केप पहनी हुई जिसकी तरफ ईशारा करते हुए कहा कि यहीं श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब हैं जिन्होंने करीब 02.33 पी.एम. पर इनके मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर र व्हाटसएप्प कॉल कर मुझे 100 फीट रोड पर बुलाया। जिस पर मैने आप सभी को मेरे पीछे-पीछे आने का ईशारा कर वहां से रवाना हो 100 फीट रोड पर कलेक्टर ऑफिस के गेट के पास मेरी कार को साईड में खडा किया। जहां पर श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब मेरी कार के अन्दर आकर ड्राईवर सींट के बगल वाली सींट पर बैठ गये और मैने एम.पी.एस. रेस्टोरेन्ट पर चाय पीने की कहकर आप सभी को मेरे पीछे-पीछे आने का ईशारा कर मैं व श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब मेरी कार से रवाना हो एम.पी.एस. रेस्टोरेन्ट के पास आकर मेरी कार को रोड के किनारे साईड में खडा किया तथा मैने अपनी कार के अन्दर बैठे हुए श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब को उनकी मांग के अनुसार रिश्वत राशि 5,000 रूपये इनको दी जिन्होंने मुझसे रिश्वत राशि अपने दोनों हाथों से ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुई काले रंग की जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखी जो अभी भी श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब की उक्त जेब में रखी हुई हैं। श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब ने रिश्वत राशि ग्रहण करने के पष्चात मुझसे कहा कि मैने श्री लोकेश रेंजर डूंगरपुर को चार हजार रूपये देने की बात कर रखी थी उसको चार हजार ही दुंगा पांच हजार क्यों दूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मनतव्य से अवगत कराया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता की अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सभी की तलाशी लेने का अवसर दिया गया जिस पर उसके द्वारा तलाशी लेने हेतु इन्कार किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी से उसका

परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री बलराम पाटीदार क्षैत्रिय वन अधिकारी कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी जिला राजसमन्द होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री बलराम पाटीदार को परिवादी श्री किशनलाल से 5,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री बलराम पाटीदार ने घबराते हुए कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं इन्होंने जबरदस्ती चाय पिलाने के लिए बुलाया और देने लगे, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं हैं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री किशनलाल की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री बलराम पाटीदार से पूछा कि आपने इनसे पैसे लिये हैं। इस पर आरोपी श्री बलराम पाटीदार ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि नहीं लिये इन्होंने जबरदस्ती डाले हैं मैने इनको मना किया चाय वाय के पैसे देजा इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री बलराम पाटीदार को रिश्वत राशि 5,000 रूपये कहा हैं के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री बलराम पाटीदार ने कहा कि मैने पैसे नहीं लिये हैं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी श्री किशनलाल से पूछा कि आरोपी श्री बलराम पाटीदार द्वारा आपसे जो रिश्वत राशि 5,000 रूपये प्राप्त की हैं उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री बलराम पाटीदार ने कहा रखी हैं इस पर परिवादी श्री किशनलाल ने आरोपी श्री बलराम पाटीदार की पहनी हुई काले रंग की जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब की तरफ ईशारा कर बताया कि आरोपी श्री बलराम पाटीदार द्वारा मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर उक्त जेब में रखे हैं। इस पर परिवादी श्री किशनलाल द्वारा बताई गई उक्त दाहिनी जेब की जामा तलाशी उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार से कराई गई तो आरोपी श्री बलराम पाटीदार की पहनी हुई काले रंग की जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट मिले। जिसे स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार से गिनवाये गये तो 500-500 के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर समान होना पाया गया। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री किशनलाल ने स्वतः ही मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब झूठ बोल रहे हैं कि मैने रिश्वत राशि इनको जबरदस्ती दी हैं जबकि दिनांक 12.07.2024 को श्री लोकेश रेंजर साहब द्वारा मेरी लकडी से भरी गाडी को छोडने हेतु रसीद की राशि 21,000 रूपये के अलावा रिश्वत राशि के लिए श्री बलराम पाटीदार रेजर साहब को बताने के लिए कहा था जिस पर श्री बलराम पाटीदार रेंजर ने मेरे मित्र श्री राजकुमार शर्मा को व्हाटसएप्प कॉल कर श्री लोकेश रेंजर साहब के लिए रसीद की राशि 21,000 रूपये के अलावा रिश्वत राशि 15,000 रूपये की मांग की थी तथा मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये 10,000 रूपये कम करने के पष्चात शैष रिश्वत राशि 5,000 रूपये श्री लोकेश रेंजर के लिए मांगे थे। जो आज श्री बलराम पाटीदार रेंजर साहब ने रिश्वत राशि 5,000 रूपये मुझसे ग्रहण कर रिश्वत राशि 4,000 रूपये ही श्री लोकेश रेंजर साहब को देने व 1,000 रूपये स्वयं के लिए रखने की मंशा प्रकट की। इसके पष्चात मौके पर आम लोगों की आवाजाही होने व सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी श्री बलराम पाटीदार रेंजर का दाहिना हाथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 से एवं बायां हाथ श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से कलाई से उपर पकडवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार के साथ मोटरसाईकिल से एवं श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 को मोटरसाईकिल से तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश चन्द्र मय ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 व कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 मय आरोपी श्री बलराम पाटीदार के मय लेपटॉप प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन मय निजी वाहन के एम.पी.एस. रेस्टोरेन्ट राजनगर से रवाना हो समय 03.05 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर-द्वितीय को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर दिनांक 16.07.2024 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी श्री बलराम पाटीदार द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व परिवादी श्री किशनलाल से वार्ता होना स्वीकार किया। इसके उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना प्रभारी गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर-प्रथम मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर दिनांक 12.07.2024 को सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा व आरोपी श्री बलराम पाटीदार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बन्धी व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर (प्रथम) को चालू कर आरोपी श्री बलराम पाटीदार को सुनाई गई तो आरोपी द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व श्री राजकुमार शर्मा से वार्ता होना स्वीकार किया तथा आरोपी श्री बलराम पाटीदार को उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बन्धी व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ता के दौरान सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा से परिवादी की लकडी से भरी गाडी को छुडवाने हेतु रसीद की राशि 21,000 रूपये के अलावा रिश्वत राशि 15,000 रूपये श्री लोकेश रेंजर के लिए मांग करना एवं परिवादी द्वारा पूर्व में दिये 10,000 रूपये कम करने के पष्चात शेष रिश्वत राशि 5,000 रूपये श्री लोकेश रेजर के लिए मांगना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 16.07.2024 को परिवादी श्री किशनलाल से रिश्वत राषि 5,000 रूपये ग्रहण करने के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री बलराम पाटीदार ने अपना सिर झुका कर मन् पुलिस निरीक्षक को कहा कि साहब मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो मेरी मदद करना। आरोपी श्री बलराम पाटीदार के दोनों हाथों का

धोवण लिया जाना वांछित होने से श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से ब्यूरो कार्यालय में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी बलराम पाटीदार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबीझाईंदार हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबीझाईंदार रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बलराम पाटीदार के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबीझाईंदार हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबीझाईंदार रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री बलराम पाटीदार की पहनी हुई काले रंग की जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि 5,000 रूपये 500-500 रूपये के कुल 10 नोट स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए जो स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये थे जो स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार द्वारा पेश किये जाने पर उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री बलराम पाटीदार की पहनी हुई जीन्स पेन्ट बरंग काला जिसके सामने की दाहिनी जेब से 5,000 रूपये बरामद होने से पहनी हुई उक्त पेन्ट को ससम्मान खुलवाकर दूसरी पेन्ट पहनायी जाकर उक्त पेन्ट बरंग काला की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच का गिलास निकलवा कर उसे साफ पानी से धुलवा कर उसमें पुनः साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त जीन्स पेन्ट बरंग काला के सामने की दाहिनी जेब उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण हल्का गुलाईझाईंदार हो गया। उक्त घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा, धौवण की षिषियों को मार्क क्रमश P-1 व P-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात उक्त जीन्स पेन्ट बरंग काला की सामने की दाहिनी जेब को धोकर सुखा कर उक्त जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा उक्त पेंट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त बरामदगी की कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् मन्शाराम पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन (वीवो कम्पनी) से निर्देशानुसार कानि0 श्री भंवरदान द्वारा की गई तथा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में कानि जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 द्वारा मेरे मोबाईल फोन (वीवो कम्पनी) को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा मेरे मोबाईल फोन में सेवशुदा उक्त रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों को एक पेनड्राईव Strotium 16 GB में सेव करा उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियों की प्रथम डब कॉपी तैयार करा उक्त पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क PD अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामगदी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द नक्षा मौका घटनास्थल मौके पर मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये एवं फर्द खाना तलाशी आरोपी श्री बलराम पाटीदार के वन विभाग राजसमन्द के क्वाटर की नियमानुसार ली जाकर फर्द मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। मामले हाजा में आरोपी श्री लोकेश कुमार मीणा रेंजर (बिछीवाडा) द्वारा दौराने मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री किशनलाल की लकडी से भरी गाडी को छोडने हेतु परिवादीगण को तयशुदा रसीद राशि 21,000 रूपये के अलावा उपर से रिश्वत राशि देने के लिए श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द को बताने के लिए कहा जिस पर श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द द्वारा सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के मोबाईल पर व्हाटसएप्प कॉल कर श्री लोकेश कुमार मीणा रेंजर (बिछीवाडा) के नाम से रिश्वत राशि 15,000 रूपये की मांग कर परिवादी श्री किशनलाल द्वारा पूर्व में दिये गये 10,000 रूपये कम करने के पष्चात शेष रिश्वत राशि 5,000 रूपये की मांग की गई जो रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बन्धी व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ता के अवलोकन से स्पष्ट हैं। ट्रेप कार्यवाही के पष्चात श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द व श्री लोकेश कुमार मीणा रेंजर बिछीवाडा व सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा के व्हाटसएप्प कॉल की डिटेल प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो दिनांक 12.07.2024 को श्री बलराम पाटीदार व श्री लोकेश कुमार मीणा के मध्य मोबाईल पर जरिए व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ता होना एवं सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा एवं श्री बलराम पाटीदार व लोकेश कुमार मीणा के मध्य मोबाईल पर जरिए व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ता होना पाया गया। मामले हाजा में आरोपी श्री अशोक कुमार भोई वनपाल द्वारा दिनांक 15.07.2024 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा से परिवादी श्री किशनलाल की लकडी से भरी गाडी को छोडने हेतु तयशुदा रसीद राशि 21,000 रूपये के अलावा उपर से श्री लोकेश कुमार मीणा रेंजर बिछीवाडा को देने हेतु रिश्वत राशि 5,000 रूपये की मांग की गई और तत्समय श्री अशोक कुमार भोई वनपाल द्वारा अपने मोबाईल फोन से श्री लोकेश

कुमार मीणा रेंजर बिछीवाडा के मोबाईल पर कॉल कर फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर वार्ता की तो श्री लोकेश कुमार मीणा रेजर द्वारा सपरिवादी राजकुमार शर्मा से रिश्वत राशि लेकर बेग में रखने हेतु श्री अशोक कुमार भोई वनपाल को कहा । तत्समय सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा ने श्री अशोक कुमार भोई वनपाल को कहा कि श्री लोकेश कुमार मीणा ने रिश्वत राशि 5,000 रूपये पूर्व में श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द को देने की कहा था जो मैं रिश्वत राशि 5,000 रूपये श्री बलराम पाटीदार को ही दूंगा। इस पर श्री अशोक कुमार भोई वनपाल ने सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा से बिछीवाडा रूट पर लकडी की गाडी बिना रोक टोक चलाने के लिए दोनों गष्ती दल के प्रति सदस्य 5000 रूपये के हिसाब से कुल 4 सदस्यों (श्री लोकेश रेंजर करण सिंह ड्राईवर नारायण सिंह रेंजर व स्वयं अशोक वनपाल) के लिए रिश्वत राशि 20,000 रूपये बतौर मासिक बन्दी मांग की गई जो रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के अवलोकन से स्पष्ट हैं। ट्रेप कार्यवाही के पष्चात श्री लोकेश कुमार मीणा रेंजर बिछीवाडा के व्हाटसएप्प कॉल एवं सामान्य कॉल लॉग की डिटेल प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो दिनांक 15.07.2024 को श्री लोकेश कुमार मीणा एवं श्री अशोक कुमार भोई के मध्य मोबाईल पर वार्ता होना पाया गया। आरोपी श्री बलराम पाटीदार पुत्र श्री राजेश पाटीदार उम्र 30 वर्ष निवासी मस्जिद के पास पानमोडी पुलिस थाना रठांजना जिला प्रतापगढ हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी राजसमन्द तथा श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक श्री हिम्मत चारण द्वारा डिटेन शुदा आरोपीगण (1) श्री अशोक कुमार भोई पुत्र श्री नानूलाल जाति माली उम्र 53 वर्ष निवासी सदर बाजार भोई वाड़ा खैरवाडा पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर हाल निवास आरएनटी कॉलोनी म.नं. 1 जी 10 डूंगरपुर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल वनपाल (गश्तीदल) वन मण्डल डूंगरपुर एवं (2.) श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मणीलाल मीणा उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव भोराई घाटा पोस्ट शक्तावतो का गुडा तह. व पुलिस थाना सेमारी जिला सलुम्बर हाल रामनगर म.नं. 57 जिला डूंगरपुर हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी (द्वितीय) कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपीगण को नियमानुसार गिरफ्तार जाकर फर्द गिरफ्तारी फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 15.07.24 तथा दिनांक 16.07.24 को हुई मोबाईल वाट्सअप वार्ताए एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता आरोपीगण की फर्द मोबाईल जप्ती फर्द जप्ती मूल पेन ड्राईव-2 फर्द जप्ती मेमोरी कार्ड-प्रथम व द्वितीय एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मामले हाजा में दिनांक 15.07.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री नारायण सिंह रेंजर डूंगरपुर की भूमिका के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थियों से पाया गया कि आरोपी श्री लोकेश कुमार मीणा क्षैत्रिय वन अधिकारी (द्वितीय), कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी बिछीवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर दिनांक 10.07.2024 को परिवादी श्री किशनलाल की लकडी से भरी गाडी (ट्रक) जिसे क्षैत्रीय वन अधिकारी बिछीवाडा गश्तीदल व क्षैत्रीय वन अधिकारी डूंगरपुर गश्तीदल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए जब्त किया गया था। परिवादी श्री किशनलाल की लकडी से भरी उक्त गाडी (ट्रक) को छुडवाने हेतु 21,000 रूपये की रसीद काटा जाना तय किया गया। परिवादीगण द्वारा अपनी लकडी से भरी गाडी को छुडवाने हेतु दिनांक 12.07.2024 को श्री लोकेश कुमार मीणा क्षैत्रीय वन अधिकारी बिछीवाडा (डूंगरपुर) से मिलने पर श्री लोकेश कुमार मीणा द्वारा परिवादी श्री किशनलाल की लकडी से भरी गाडी (ट्रक) को छुडवाने हेतु रसीद की राशि 21,000 रूपये के अतिरिक्त रिश्वत राशि के सम्बन्ध में श्री बलराम पाटीदार क्षैत्रीय वन अधिकारी राजसमन्द को बताने के लिए कहा जिस पर श्री बलराम पाटीदार क्षैत्रीय वन अधिकारी राजसमन्द द्वारा सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा को व्हाटसएप्प कॉल कर परिवादी श्री किशनलाल की लकडी से भरी गाडी को छुडवाने हेतु श्री लोकेश कुमार मीणा क्षैत्रीय वन अधिकारी बिछीवाडा के नाम से रसीद की राशि के अलावा उपर से रिश्वत राशि 15,000 रूपये की मांग की एवं परिवादी द्वारा पूर्व में दिये गये 10,000 रूपये कम करने के पष्चात शैष रिश्वत राशि 5,000 रूपये श्री लोकेश कुमार मीणा क्षैत्रीय वन अधिकारी बिछीवाडा के लिए मांग करना तथा आरोपी श्री अशोक कुमार भोई वनपाल द्वारा दिनांक 15.07.2024 को हुई मांग सत्यापन वार्ता के दौरान सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा से परिवादी श्री किशनलाल की लकडी से भरी गाडी को छोडने हेतु तयशुदा रसीद राशि 21,000 रूपये के अलावा उपर से श्री लोकेश कुमार मीणा रेंजर बिछीवाडा को देने हेतु रिश्वत राशि 5,000 रूपये की मांग करना और तत्समय श्री अशोक कुमार भोई वनपाल द्वारा अपने मोबाईल फोन से श्री लोकेश कुमार मीणा रेंजर बिछीवाडा के मोबाईल पर सामान्य कॉल कर फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर वार्ता की तो श्री लोकेश कुमार मीणा रेजर द्वारा सपरिवादी राजकुमार शर्मा से रिश्वत राशि लेकर बेग में रखने हेतु श्री अशोक कुमार भोई वनपाल को कहना तत्समय सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा ने आरोपी श्री अशोक कुमार भोई वनपाल को श्री लोकेश कुमार मीणा द्वारा पूर्व में बताये अनुसार रिश्वत रिश्वत राशि 5,000 रूपये श्री बलराम पाटीदार रेंजर राजसमन्द को ही देने की कहना तथा श्री अशोक कुमार भोई वनपाल द्वारा सपरिवादी श्री राजकुमार शर्मा से बिछीवाडा रूट पर लकडी की गाडी बिना रोक टोक चलाने के लिए दोनों गष्ती दल के प्रति सदस्य 5000 रूपये के हिसाब से कुल 4 सदस्यों (श्री लोकेश रेंजर करण सिंह ड्राईवर नारायण सिंह रेंजर व स्वयं अशोक वनपाल) के लिए रिश्वत राशि 20,000 रूपये बतौर मासिक बन्दी मांग करना जो रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता/व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ता के

अवलोकन से स्पष्ट होने पर तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग के अनुशरण में दिनांक 16.07.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री बलराम पाटीदार हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी श्री किशनलाल से रिश्वत राशि 5,000 रूपये अपने दोनों हाथों से ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखना जहां से रिश्वत राशि 5,000 रूपये दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा आरोपी श्री बलराम पाटीदार क्षैत्रीय वन अधिकारी राजसमन्द द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झाईंदार होना व आरोपी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग हल्का गुलाबीझाईंदार होना पाया जाने पर आरोपीगण (1) श्री बलराम पाटीदार पुत्र श्री राजेश पाटीदार उम्र-30 वर्ष निवासी मस्जिद के पास मुकाम पोस्ट पानमोडी पुलिस थाना रठांजना तहसील व जिला प्रतापगढ हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी जिला राजसमन्द (2) श्री अशोक कुमार भोई पुत्र श्री नानूलाल जाति माली उम्र 53 वर्ष निवासी सदर बाजार भोई वाड़ा खैरवाडा पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर हाल निवास आरएनटी कॉलोनी म.नं. 1 जी 10 डूंगरपुर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल वनपाल (गश्तीदल) वन मण्डल डूंगरपुर एवं (3) श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मणीलाल मीणा उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव भोराई घाटा पोस्ट शक्तावतो का गुडा तह. व पुलिस थाना सेमारी जिला सलुम्बर हाल रामनगर म.नं. 57 जिला डूंगरपुर हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी (द्वितीय) कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपीगण के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (मंशाराम) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018)) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 में आरोपीगण (1) श्री बलराम पाटीदार पुत्र श्री राजेश पाटीदार उम्र-30 वर्ष निवासी मस्जिद के पास मुकाम पोस्ट पानमोडी पुलिस थाना रठांजना तहसील व जिला प्रतापगढ हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी जिला राजसमन्द (2) श्री अशोक कुमार भोई पुत्र श्री नानूलाल जाति माली उम्र 53 वर्ष निवासी सदर बाजार भोई वाड़ा खैरवाडा पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर हाल निवास आरएनटी कॉलोनी म.नं. 1 जी 10 डूंगरपुर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल वनपाल (गश्तीदल) वन मण्डल डूंगरपुर एवं (3) श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मणीलाल मीणा उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव भोराई घाटा पोस्ट शक्तावतो का गुडा तह. व पुलिस थाना सेमारी जिला सलुम्बर हाल रामनगर म.नं. 57 जिला डूंगरपुर हाल क्षैत्रिय वन अधिकारी (द्वितीय) कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 955 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 752-56 दिनांक 18.07.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ) राजस्थान, जयपुर । 3 उप वन संरक्षक, डूंगरपुर। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर । 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर॥

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/07/2024 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/12/1994				
2	Male	09/01/1971				
3	Male	07/05/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)